प्रकीर्ण वाद संख्या २५८/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. २८८/२०१७)
अयोध्या प्रसाद आदि बनाम रघुराज आदि
१२.०१.२०२१

३बी प्रार्थनापत्र पर प्रार्थीगण/याचीगण अयोध्या प्रसाद, श्रीमती लक्ष्मी एवं सुष्मिता द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा एवार्ड की धनराशि जमा कर दी गयी है। याचीगण ने कोई अपील नहीं की है एवं विपक्षीगण द्वारा कोई अपील दायर करने की सूचना नहीं मिली है। याची सं. ३ (श्रीमती सुधा) मृतक की पत्नी मायके गयी है, याची सं. १ उसे लेने गया था, लेकिन वह आने को तैयार नहीं है, शायद वह अपना प्रार्थनापत्र अलग से देना चाहती है, जिसमें प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं। उसकी एफ.डी. न्यायाधिकरण के नाम से बनाकर रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि प्रकरण में जमा धनराशि आनुपातिक रूप में उनके पक्ष में रिलीज करने की कृपा की जाय। प्रार्थीगण ने समर्थन में प्रार्थी अयोध्या प्रसाद का शपथपत्र ४सी२, अपने-अपने बैंक खाते की पासबुक व आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ पत्रावली पर दाखिल की गई हैं।

प्रार्थी अयोध्या प्रसाद स्वयं एवं शेष प्रार्थीगण जरिए वाट्सएप न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद व एम.ए.सी.पी. सं. २८८/२०१७ अयोध्या प्रसाद आदि बनाम रघुराज सिंह आदि की पत्रावलियों व कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक १९.११.२०२० को ₹ **१०,१२,४८० मय ७.५** प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, याचिक दायर करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए एवार्ड पारित किया गया है, जिसमें से याचीगण सं. १ लगायत ४ को क्रमशः १०, ४०, ४० व १० प्रतिशत भाग प्राप्त होना है तथा प्रत्येक याचीगण की ७५ प्रतिशत धनराशि की ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जानी है। प्रार्थी अयोध्या प्रसाद द्वारा अपने शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया गया है तथा यह भी कथन किया है कि न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कोई अपील, स्टे आदि प्रभावी नहीं है। कार्यालय आख्या के अनुसार संबंधित बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार दिनाँक ११.१२.२०२० को पी.एन.बी.के खाता में ₹ १२,१६,१९७ भेजा गया है, जिसका ट्रान्जेक्शन नं. ~~२०२००३३७३०~~ UTR No. HSBCN20349563406 है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा पारित एवार्ड के अनुसार याची सं. ३ श्रीमती सुधा, जो कि इस प्रकरण की दुर्घटना में मृतक अजय कुमार की पत्नी है, को प्रतिकर की धनराशि में से **४० प्रतिशत** भाग प्राप्त होना है, किन्तु उसकी ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण ने याची सं. ३ के भाग की प्रतिकर धनराशि पर कोई आपत्ति नहीं की है तथा उन्होंने अपने-अपने भाग की आनुपातिक धनराशि उनके पक्ष में न्यायाधिकरण के आदेशानुसार उन्हें दिलाए जाने की याचना की है तथा उन्होंने यह भी कथन कया है कि याची सं. ३ की एफ.डी. न्यायाधिकरण के नाम से बनाकर रखे जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। चूँकि प्रकरण में न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी द्वारा प्रतिकर की धनराशि मय ब्याज ₹ **१२,१६,१९७** न्यायाधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी में जमा की गई है एवं प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में यह कथन किया है कि याची सं. १, याची सं. ३ को लेने गया था लेकिन वह आने को तैयार नहीं है, शायद वह अपना प्रार्थनापत्र अलग से देना चाहती है जिसमें प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रकरण में जमाशुदा धनराशि ₹ **१२,१६,१९७** में से याचिया सं. ३ श्रीमती सुधा की **४० प्रतिशत भाग** की धनराशि, जो कि **₹ ४,८६,४७९ मय उसके भाग के अनुपात में अब तक अर्जित ब्याज,** होती है, को छोड़कर शेष प्रतिकर की धनराशि प्रार्थीगण/याचीगण अयोध्या प्रसाद, श्रीमती लक्ष्मी एवं सुष्मिता अपने-अपने भाग की आनुपातिक प्रतिकर धनराशि न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट व एन्युटी स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त करने के अधिकारी है।

आदेश

३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. २८८/२०१७ (प्रकीर्ण वाद सं. २५८/२०२० अयोध्या प्रसाद आदि बनाम रघुराज आदि) के प्रकरण में जमा क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ **१२,१६,१९७** में से **याचिया सं. ३ श्रीमती सुधा की ४० प्रतिशत भाग** की धनराशि, जो कि **₹ ४,८६,४७९ होती है, मय उसके भाग के अनुपात में अब तक अर्जित ब्याज की धनराशि**, को छोड़कर शेष प्रतिकर की धनराशि इस प्रार्थनापत्र के प्रार्थीगण/याचीगण को अपने-अपने भाग की आनुपातिक प्रतिकर धनराशि न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट व एन्युटी स्कीम के अन्तर्गत मय अर्जित आनुपातिक ब्याज को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicant/ Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Ayodhya Prasad	91215	7.5	Annuity for 3 years	___	Any Nationaliz	____

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.01.22 15:34:00 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

					ed Bank	
1. Ayodhya Prasad	30405	2.5	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010010626	Syndicate Bank Govind Chauraha jhansi	SYNB0009235
2. Smt. Laxmi	364859	30	Annuity for 3 years	___	Any Nationalized Bank	____
2. Smt. Laxmi	121620	10	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010011260	Syndicate Bank Govind Chauraha jhansi	SYNB0009235
4. Sushmita	91214	7.5	Annuity scheme for 3 years	___	Any Nationalized Bank	____
4. Sushmita	30405	2.5	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010011275	Syndicate Bank Govind Chauraha Jhansi	SYNB0009235
3. Smt. Sudha	**486479**	**40**	**----------**	----------	----------	----------
T0tal	**1216197**	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी

UTR No. corrected vide order
dated 22.01.2021

PO, MACT, JHANSI
22.01.2021